

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2009

का.आ. 200(अ).—केन्द्रीय सरकार तृतीय और माध्यम उदान विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की शाखा 8 की उपशाखा (2) कुरा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस नियमित सलाहकार शक्तियों की सिफारिशों को प्राप्त करने के पश्चात् भारत सरकार के तृतीय लघु और मध्यम उदान विकास विभाग की अधिसूचना सं० का०आ० 1643(अ), तारीख 29 सितंबर, 2006 में नियमित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,—

(अ) अनुसूची —१ में,

(i) प्रथम संलग्नक 2 और उससे संबंधित प्रविचिटियों के रखान पर नियमिति क्रम संलग्नक और प्रविचिटियों तकी जाएगी, अर्थात् :-

"2. सूक्ष्म और लघु उद्धारों के लिए ज्ञापन वही तीन प्रतियोगी और नव्यव उद्धारों के लिए ज्ञापन की घार प्रतियोगी फ़ाइल वही जानी चाहिए।

(ii) चार 1 में—

(क) ग्रम संख्याक 13 और उससे संबंधित प्रतियोगी के स्थान पर निम्नलिखित ग्रम संख्याओं और प्रतियोगी रखी जाएगी, अक्षरात्

**"13. संस्कृत समाज (प्रस्तावित) प्रतियोगिक**

(i) संघर्ष के

मात्रा-

इकाई

उत्पाद

--	--	--

--	--	--

उत्पाद

--	--	--

--	--	--

उत्पाद

--	--	--

--	--	--

(ii) संघर्ष ख

मात्रा-

इकाई

उत्पाद

--	--	--

--	--	--

उत्पाद

--	--	--

--	--	--

उत्पाद

--	--	--

--	--	--

(यदि आवश्यक हो तो अंतिरिक्त पन्ना जोडें);

(iii) अभिस्थीकृति में " (पहले दो खाने" कोष्ठक और शब्दों से आरंभ ने बाले और " (अंतिम पांच खाने उद्धारी ज्ञापन संख्या के लिए है)" पर समाप्त होने वाले कोष्ठक और शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रुप जाएगा, अक्षरात् :-

"[ पहले दो खाने राष्ट्र और संघ शाखाओं के कोष्ठक के लिए अगले तीन खाने जिसका कोष्ठक के लिए छता और सातवां खाना उद्धार के प्रथम के लिए (यिनिमात्र या सेवा के लिए छता खाना और सातवां खाना सूक्ष्म और अंतिम पांच खाने उद्धारी ज्ञापन संख्या के लिए है)]

यह अभिस्थीकृति जारी होने की तरीख से दो वर्ष की अवधि के लिए दिएगान्व है।”;

(iv) भाग 2 में:-

(क) इस संख्याक 14 और उससे संबंधित प्रविधियों के स्थान पर निम्नलिखित फॉर्म संख्याक और प्रविधियों रखी जाएगी, अर्थात्

“14. संस्थान क्षमता प्रतिवार्षिक

(i) संघर्ष क

उत्पाद.....

उत्पाद.....

उत्पाद.....

उत्पाद.....

मात्रा

इकाई

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

(ii) संघर्ष ख

उत्पाद.....

उत्पाद.....

उत्पाद.....

उत्पाद.....

मात्रा

इकाई

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

(दण्ड काशक्षयक दो दो अतिरिक्त पट्टा चोड़ें);

(v) अभिस्थीकृति के स्थान पर निम्नलिखित अभिस्थीकृति रखी जाएगी, अर्थात् :-

#### अभिस्थीकृति

##### भाग 2

मेरार्थ..... ने प्रश्न स..... और विनानुसार आधिक  
उदाहरी ज्ञापन संख्या में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार नीचे उपर्युक्त गद्यमयों के लिए  
परे..... परे..... ज्ञापन संख्या फॉर्म किया है।

2. विनिर्भूत किए जाने वाली /प्रदान की गई सेवाओं का व्यौद्ध

क्रम सं.	विनियोग की मद्दती गई सेवा का प्रभाव	विनियोग के नाम से ने अभिया	उत्पादन/सेवा के आरंभ की प्रारंभिक तारीख
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

(यदि अवश्यक हो तो अतिरिक्त पन्ना जोड़ें)

विविचार विनियोग के अनुसार संबंध और महीनी का चौंका

क्रम सं.	संबंध और महीनी/उपलब्ध में विनियोग	विनियोग की तारीख
1.		
2.		
3.		

(यदि अवश्यक हो तो अतिरिक्त पन्ना जोड़ें)

4. टिप्पणी- इस अधिसूचीकृति के जारी होने से कोई विविक अधिवार नहीं प्रवान द्वारा है केन्द्रीय सरकार/ज्ञात्य सरकार/संघ राजद्रोत प्रशासन/न्यायालय आदेत यह विवियों को अधीन अपेक्षित समारोहन/अनुशासित पांग प्राप्त करने के लिए उद्दाम अपेक्षित है।

	दिन	माह	वर्ष	वर्ष
5. सूक्ष्म/लघु या लघु/मध्यम या उपर्योग प्रबर्ग में परिवर्तन की तारीख				
6. जारी वर्तन की तारीख				
7. शिक्षापत्रक की प्रकृति (विनियोग-1, सेवाएं-2)				
8. उद्यम का प्रबर्ग (सूक्ष्म -1, लघु-2, मध्यम -3)				

256 ५६०१- 2

१ उत्तरानी ज्ञान संस्कृत

卷之二

"[पहले दो खाने सम्बन्धी और संबंधी साज्यक्षेत्र की ओर के लिए, अगले तीन खाने जिल कोड के लिए छत्र और शत्रवाच खाना उद्यम के प्रवर्ती के लिए (विनिर्माण या सेवा के लिए छत्र खाना और सातवां खाना सुन्न और अलिम पांच खाने उठावी जागरूक संख्या के लिए हैं)।]"

三

३४८

## हस्ताधार

(ख) अनुसूची -2 में क्रम सं. 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएँ और प्रविष्टियाँ अनुसूचित की जाएंगी अर्थात् :-

"13. "अधिकारीकृत उद्यमी ज्ञापन" रह किए जाने के लिए दायी हुए यदि इकाई और मास से अधिक को लिए देंद पायी जाती है या प्रश्नकृत किए गए उद्यमी ज्ञापन में गलत जानकारी दी है या इस अनुसूची के बाहर से 10 पर अनुदेशों का पालन नहीं किया है (उपर अधिनियम की घटा 8 उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपर्योगी के अधीन उद्यमी ज्ञापन को लौटाकर करने के लिए अधिकृत प्राविकार से रो अन्यून किसी अधिकारी के अधीन किसी जाच हुए अनुसरित की जाने वाली लिखित शिकायत पर आधारित आरेख दी जाए ) ।

१४. उद्घाटन पुनः लटाबी ज्ञापन भाग-२ काइल करेता यदि उद्घाटन परी प्राचीनता संरोत और मत्तीनसे /उपरकर्त्ता में विषयान की त्रुटियाकारी के परिणामस्वरूप सूक्ष्म से लघु या लघु से मध्यम या विषयेन परिवर्तित हो जाती है। ऐसी मामलों में पहले जारी की गई अभिरवीकृति को रद्द किए जाने की आवश्यकता है और रद्द की गई अभिरवीकृति की प्रति प्रमाणित के साथ रद्दकरण वज्र पत्र उद्घोषणित को उपलब्ध कराया जाना चाहेए जिससे कि वह कार्यकर्त्ता जी अवधि के सिए कारबद्ध विधि योई हो रुठा सके।

१५. राष्ट्र और भ्रष्ट उद्योगों (ठिनिर्माण और सेंटा तोनी) द्वारा फाइल की गई उद्यमी ज्ञापन की दीन प्रतिरूप में से यहली जिला उद्योग केन्द्र द्वारा रखी जानी चाहिए, बुरारी उद्यमी ज्ञापन रखता आवश्यित वर्त उद्योगों को जापन की जरूरी चाहिए और तीरारी प्रति संबद्ध राष्ट्र, संघ और भव्यम उद्यम डिजास रखता है अधिकारी की जानी चाहिए।

16. मजबूत उद्यमों (विनिर्माण और हेता यारी) द्वारा प्रकाशन की गई सुधारी प्राप्ति ने रो पहली जिता उद्योग को बढ़ाया रखी जानी चाहिए, दूसरी उद्यमी आपने सेवा अवधिकारी उद्यमों को बचाया की जानी चाहिए और हीतरी प्रति सेवक सूचन, लघु और बद्धन उद्यग विकास संस्थान को अप्रोपित की जानी चाहिए, और भीड़ी प्रति विकास आवृक्त (सूचन, लघु और बद्धन उद्यग) के सूचन लघु और बद्धन उद्यग नीटि प्रवाग, सांसदी तर, ए-विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली को अप्रोपित की जानी चाहिए।

17. कर्णपी जयनिदाम, 1956 (1956 का 1) में यथा परिवर्तित क्रमनियः सहकारी मार्गदारी कर्म और न्यालों की दशा में उत्तम के नाम का परिवर्तन परिकोई हो, महा प्रवर्धक, जिला उद्योग केन्द्र दा राज्य/संघ राज्यकोज में उड़ानी आपन काहल जाने के तिए अविसुष्टि प्राप्तिकारी को परिवर्तन होने तकी तीन मास के भीतर सूखना ली जानी चाहिए। स्वामित्व कर्मों की दशा में उत्तमी संसूचना किसी ग्राम पञ्च के सभा नाम में परिवर्तन ली प्रयापी होने के तीन मास के भीतर ली जानी चाहिए।"

प्रकाशन क्र. नं. ३१/१०/२०१६-सम्पादकीय संस्कृति।

**पारं इच्छनः**: मूल अधिसूचना भाग के उल्लेख, अकावारण, भाग 2, छंड 3, उपर्युक्त (ii) में  
का अ.अ. 1843 (3) सत्रिक 29 सितंबर 2006 हारा प्रकाशित की गई थी। और सत्रिकालीन  
अधिसूचना का अ.अ. 941(3), सत्रिक 7 पृष्ठ 2007 हारा संशोधन किए गए।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2000

S.O. 200(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the Central Government, after obtaining the recommendations of the Advisory Committee in this behalf, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises vide number, S.O. 1643 (E), dated the 29<sup>th</sup> September, 2006, namely:-

In the said notification -

(A) In Schedule I.

- (i) for the serial number 2 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely,-

"2. THREE COPIES OF MEMORANDUM FOR MICRO AND SMALL ENTERPRISES AND FOUR COPIES FOR MEDIUM ENTERPRISES SHOULD BE FILED.",

(ii) in PART I,-

(iii) for serial number 13 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely,-

## "13. INSTALLED CAPACITY (proposed) PER ANNUM

## (i) PLANT A

	QTY	UNIT
PRODUCT .....		
(ii) PLANT B	QTY	UNIT
PRODUCT .....		

(Add additional sheet, if needed);

- (iii) in the ACKNOWLEDGEMENT, for the portion beginning with the bracket and words "First two boxes" and ending with the words and bracket " last five boxes are for Entrepreneurs' Memorandum number", the following shall be substituted, namely,-

"[First two boxes are for State/Union Territory code, next three boxes are for District code, sixth and seventh boxes are for category of enterprise (sixth box for indicating manufacturing or service and seventh box for indicating micro or small or medium) and last five boxes are for Entrepreneurs' Memorandum number]

This acknowledgement is valid for a period of two years from the date of issue. ";

- (iv) in PART II,-

(a) for the serial number 14 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely,-

## "14. INSTALLED CAPACITY PER ANNUM

## (i) PLANT A

	QTY	UNIT
PRODUCT .....		
PRODUCT .....		

PRODUCT ..... 


PRODUCT ..... 


(ii) PLANT & ..... QTY UNIT 


PRODUCT ..... 


PRODUCT ..... 


PRODUCT ..... 


PRODUCT ..... 


(Add additional sheet if needed):

- (iv) for the ACKNOWLEDGEMENT, the following Acknowledgement shall be substituted, namely:-

"Form No. -----

#### ACKNOWLEDGEMENT

#### PART-II

1. M/S. .... HAS FILED MEMORANDUM FOR A ..... (MANUFACTURING/SERVICE) ENTERPRISE AT THE ADDRESS ..... PIN ..... FOR THE ITEM/ITEMS INDICATED BELOW AS PER THE FACTS STATED IN FORM NO. .... AND ALLOCATED ENTREPRENEURS' MEMORANDUM NO. AS BELOW:

2. DETAILS OF ITEM/ITEMS TO BE MANUFACTURED/SERVICE TO BE PROVIDED

SL. NO.	Items of manufacture/type of service to be rendered	Capacity in case of manufacture	Initial date of production/ commencement of service
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

(add additional sheet if required)

3. DETAILS OF PLANT AND MACHINERY AS PER DATE-WISE INVESTMENT

SL. NO.	Investment in Plant and Machinery/Equipments	Date of Investment
1.		
2.		
3.		

(add additional sheet if required)

256 06/09/3

4. NOTE: THE ISSUE OF THIS ACKNOWLEDGEMENT DOES NOT BESTOW ANY LEGAL RIGHT. THE ENTERPRISE IS REQUIRED TO SEEK REQUISITE CLEARANCE/ LICENCE/ PERMIT REQUIRED UNDER STATUTORY OBLIGATION STIPULATED UNDER THE LAWS OF CENTRAL GOVERNMENT/ STATE GOVERNMENT/UT ADMINISTRATION/COURT ORDERS.\*
5. DATE OF CHANGE OF CATEGORY FROM MICRO/SMALL TO SMALL/MEDIUM OR VICE VERSA.
- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
- D D M M Y Y Y Y
6. DATE OF ISSUE
- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
- D D M M Y Y Y Y
7. NATURE OF ACTIVITY  
(MANUFACTURING-1, SERVICES-2)
- 
8. CATEGORY OF ENTERPRISE  
(MICRO-1, SMALL -2, MEDIUM -3)
- 
9. ENTREPRENEURS MEMORANDUM NUMBER
- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
- PART-II**

[First two boxes are for State/Union Territory code, next three boxes are for District code, sixth and seventh boxes are for category of enterprise (sixth box for indicating manufacturing or service and seventh box for indicating micro or small or medium) and last five boxes are for Entrepreneurs' Memorandum number]

DATE:

PLACE:

SIGNATURE  
WITH OFFICE SEAL\*,

(B) In Schedule II, after the serial number 12 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely,-

- \* 13. The Acknowledged Entrepreneurs' Memorandum shall be liable to be cancelled in case the unit is found closed for more than 6 months or furnished wrong information in the Entrepreneurs' Memorandum filed or did not follow the instructions at serial number 10 of this Schedule (to be initiated based on any complaint in writing followed by an enquiry under an official not below the authority notified for accepting the Entrepreneurs' Memorandum under the provisions of sub-sections (3) and (4) of section 8 of the said Act.
14. The enterprise has to file the Entrepreneurs' Memorandum Part II again, in case, the status of the enterprise changes from micro to small or small to medium or vice versa, as a result of enhancement/decrease in the investment in plant and machinery/equipments. In such cases, the acknowledgement issued earlier need to be cancelled and the letter of cancellation along with the copy of the cancelled acknowledgement (scrifized) should be provided to the industrialist so that it may take benefit, if any, for that period of functioning.

15. Out of the three copies of the Entrepreneurs' Memorandum filed by the Micro and Small enterprises (both manufacturing and service), first should be retained by the District Industries Centre, second returned to the Enterprise with Entrepreneurs' Memorandum No. allotted, and third should be forwarded to Micro, Small and Medium Enterprises Development Institute concerned.
16. Out of the four copies of the Entrepreneurs' Memorandum filed by the medium enterprises (both manufacturing and service), first should be retained by the District Industries Centre, second returned to the Enterprise with Entrepreneurs' Memorandum No. allotted, third forwarded to Micro, Small and Medium Enterprises Development Institute concerned and fourth copy should be forwarded to the Micro, Small and Medium Enterprises Policy Division of the Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises), 7<sup>th</sup> floor, A Wing, Nirman Bhavan, New Delhi.
17. In case of companies as defined in Companies Act, 1956, (1 of 1956) cooperative/partnership firms and trusts, the change of name of the enterprise, if any, should be informed to General Manager, District Industries Centre or the authority notified for filing of Entrepreneurs' Memorandum in the State/UT within three months of change. In case of ownership firms, the same should be communicated within three months of effecting the change in name along with an affidavit."

[F. No. 2(10)1956-MSME Policy]

MADHAV LAL, Addl. Secy.

**PostNote:** The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), vide S.O. 1643 (E), dated the 29<sup>th</sup> September, 2006 and further amended vide notification S.O. 941 (E), dated the 7<sup>th</sup> June, 2007.